दिनांक- 23.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 242/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 23.06.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 23.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 243/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- थाना कुलपहाड़

थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम व बरामदगी/गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के कुशल नेतृत्व एवं प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री अवधेश कुमार मिश्रा द्वारा गठित टीम उ0नि0 श्रीकृष्ण वैश्य मय हमराह रि0का0 मनोज कुमार द्वारा दिनांक 22.06.2026 को बौरा गांव से सतारी पुलिया की ओर, वहद ग्राम बौरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा से अभियुक्त इन्द्रपाल अहिरवार पुत्र चन्द्रभान अहिरवार उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम बिहार थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 40 क्वार्टर "झूम" ब्राण्ड ठेका देशी शराब नाजायज बरामद की गई।
बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुलपहाड़ में मु0अ0सं0 136/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 श्रीकृष्ण वैश्य
2. रि0का0 मनोज कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त:

इन्द्रपाल अहिरवार पुत्र चन्द्रभान अहिरवार उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम बिहार थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

बरामदगी विवरण:

• 40 क्वार्टर "झूम" ब्राण्ड ठेका देशी शराब नाजायज बरामद

दिनांक- 23.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 244/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर- थाना खन्ना

खन्ना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 05 वारंटी/अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध खनन प्रकरण में एक वांछित अभियुक्त सहित मोबाइल बरामद।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के पर्यवेक्षण में एवं थानाध्यक्ष थाना खन्ना महोबा की देखरेख में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना खन्ना पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 23.06.2026 को उ0नि0 श्री लक्ष्मीनारायण सिंह मय हमराह रि0आ0 प्रदीप कुमार द्वारा 01 अभियुक्त बलराम पुत्र स्वयंबर, उम्र 23 वर्ष, निवासी कस्बा व थाना खन्ना जनपद महोबा को सम्बन्धित मु0अ0सं0 02/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में उ0नि0 श्री हीरामणि तिवारी मय हमराह रि0आ0 प्रियांशु पाण्डेय द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त सन्तू पुत्र कन्तू, उम्र 46 वर्ष, निवासी ग्राम सिरसीखुर्द थाना खन्ना जनपद महोबा को सम्बन्धित मु0अ0सं0 123/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार किया गया। साथ ही अभियुक्त अशोक पुत्र सीताराम, उम्र 40 वर्ष व भृग देव पुत्र सीताराम, उम्र 25 वर्ष निवासीगण ग्राम न्यूरिया सिरसीकला थाना खन्ना जनपद महोबा को सम्बन्धित मु0अ0सं0 32/2018 धारा 323/504 भा.दं.सं. में गिरफ्तार किया गया।

तत्पश्चात उ0नि0 श्री सुरेश कुमार मय हमराह कां0 शीलू यादव द्वारा अभियुक्त गोधन सविता पुत्र सीताराम, उम्र 25 वर्ष, निवासी कस्बा व थाना खन्ना जनपद महोबा को सम्बन्धित मु0अ0सं0 40/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम में माननीय न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा निर्गत गैर-जमानती वारंट के आधार पर हिरासत पुलिस में लिया गया।

इसी क्रम में उ0नि0 श्री मौजीलाल वर्मा मय हमराह रि0आ0 राहुल सोनकर द्वारा चिचारा मंडी के प्रथम गेट के पास शीशम के पेड़ के पास से 01 वांछित अभियुक्त हंसराज पुत्र रमेशचन्द्र, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम सिरसीईपुर थाना घुंघटेर जनपद बाराबंकी को सम्बन्धित मु0अ0सं0 58/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस व 3(1), 58, 72(2) उ0प्र0 खनिज परिवहन अधिनियम एवं 4/21 खान एवं खनिज विकास विनियमन अधिनियम 1957 में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद मोबाइल (LVIX कीपैड) बरामद हुआ। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.बलराम पुत्र स्वयंबर, उम्र 23 वर्ष, निवासी कस्बा व थाना खन्ना जनपद महोबा
2.सन्तू पुत्र कन्तू, उम्र 46 वर्ष, निवासी ग्राम सिरसीखुर्द थाना खन्ना जनपद महोबा
3.अशोक पुत्र सीताराम, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम न्यूरिया सिरसीकला थाना खन्ना जनपद महोबा
4.भृग देव पुत्र सीताराम, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम न्यूरिया सिरसीकला थाना खन्ना जनपद महोबा
5.गोधन सविता पुत्र सीताराम, उम्र 25 वर्ष, निवासी कस्बा व थाना खन्ना जनपद महोबा
6.हंसराज पुत्र रमेशचन्द्र, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम सिरसीईपुर थाना घुंघटेर जनपद बाराबंकी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 लक्ष्मीनारायण सिंह 2.उ0नि0 हीरामणि तिवारी 3.उ0नि0 सुरेश कुमार 4.उ0नि0 मौजीलाल वर्मा 5.रि0आ0 प्रदीप कुमार 6.रि0आ0 प्रियांशु पाण्डेय 7.रि0आ0 राहुल सोनकर 8.कां0 शीलू यादव

दिनांक- 23.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 245/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में विशेष अभियान चलाकर कोचिंग संस्थानों की व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद में संचालित कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा, व्यवस्थाओं एवं निर्धारित मानकों के अनुपालन की जांच हेतु विशेष अभियान चलाया गया।

इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी (सदर) श्री शिवध्यान पांडेय, जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) श्री प्रेमचंद यादव, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री मनीष कुमार पाण्डेय तथा अग्निशमन विभाग के उपनिरीक्षक (SI Fire) श्री महेन्द्र कुमार सिंह की संयुक्त टीम द्वारा नगर क्षेत्र में संचालित विभिन्न कोचिंग संस्थानों का सघन निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान प्रमुख बिंदु:-

- संस्थानों में अग्निशमन उपकरणों (Fire Extinguishers) की उपलब्धता एवं कार्यशीलता की जांच की गई।
- आपातकालीन निकास (Emergency Exit) एवं सुरक्षा मानकों का सत्यापन किया गया।
- विद्यार्थियों की क्षमता के अनुरूप कक्षाओं का संचालन एवं भीड़ नियंत्रण व्यवस्था देखी गई।
- भवन की संरचनात्मक सुरक्षा एवं विद्युत व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया।
- पंजीकरण एवं अन्य आवश्यक वैधानिक दस्तावेजों की जांच की गई।

निरीक्षण के दौरान कई कोचिंग संस्थानों में निर्धारित मानकों का पूर्णतः पालन न किए जाने की स्थिति पाई गई। ऐसे संस्थानों को तत्काल सुधार हेतु निर्देशित किया गया तथा गंभीर अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की गई।

अपील:-

पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा समस्त कोचिंग संचालकों को निर्देशित किया गया कि वे शासन द्वारा निर्धारित सुरक्षा एवं संचालन संबंधी मानकों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करें, जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं सुविधा बनी रहे।

जनपदीय पुलिस एवं प्रशासन टीम द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में भी इस प्रकार के निरीक्षण अभियान निरंतर चलाए जाते रहेंगे तथा नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक- 23.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 246/26

महोबा पुलिस

मोहर्रम पर्व के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा चरखारी में पारंपरिक "दुलदुल" जुलूस मार्ग एवं आयोजन स्थल का किया गया स्थलीय निरीक्षण, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश।

आगामी मोहर्रम पर्व के दृष्टिगत जनपद में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा थाना चरखारी क्षेत्र में मोहर्रम की सातवीं तारीख पर आयोजित होने वाले पारंपरिक घोड़ा जुलूस "दुलदुल" के आयोजन स्थल एवं प्रस्तावित जुलूस मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।

निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जुलूस मार्ग पर पड़ने वाले संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण स्थलों का अवलोकन कर सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की गई। साथ ही ड्रोन कैमरों के माध्यम से क्षेत्र का निरीक्षण कर संभावित चुनौतियों एवं आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाओं का आकलन किया गया। संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जुलूस के दौरान विशेष सतर्कता बरतने, प्रभावी निगरानी बनाए रखने तथा किसी भी परिस्थिति में त्वरित एवं समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने आयोजकों एवं आयोजन समिति के पदाधिकारियों से संवाद स्थापित कर जुलूस की व्यवस्थाओं, निर्धारित मार्ग एवं अन्य आवश्यक पहलुओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सभी आयोजकों एवं समिति सदस्यों से आपसी सौहार्द, अनुशासन एवं सहयोग की भावना के साथ पर्व को शांतिपूर्ण एवं सकुशल सम्पन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की।

निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे, प्रभारी निरीक्षक चरखारी श्री बीरेंद्र प्रताप सिंह सहित जनपद के विभिन्न थानों से लगाए गए पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारीगण, आयोजक एवं आयोजन समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे।

जनपद पुलिस द्वारा मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है तथा सभी गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है।